कार्यालय प्रमुख अभियंता
म.प्र. लोक निर्माण विभाग, सतपुड़ा भवन, द्वितीय तल भोपाल
website : www.mp.gov.in/pwdmp email : pwdbhop@mp.nic.in
Phone - 0755 - 2551485, Fax - 2556527

(5)

क्रमांक /संचार/10 /3401 भोपाल दिनांक : 21/10/10

प्रति,

समस्त मुख्य अभियंता,
लोक निर्माण विभाग,
मध्यप्रदेश।

विषय :— एक से अधिक जिले में से निकलने वाली सडकों का निर्माण।

—

लोक निर्माण विभाग में कतिपय प्रकरणों में कार्यो की स्वीकृति इस तरह से जारी की गई है कि सडक की स्वीकृत लंबाई दो संभागों के कार्यक्षेत्र में आती है। इन सडकों के प्रस्ताव एवं प्राक्कलन संबंधित संभागों द्वारा तैयार किये जाते हैं, तथा एकजाई प्राक्कलन एक संभाग द्वारा तैयार कर प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त की जाती है तथा एक संभाग द्वारा निविदायें आमंत्रित कर अनुबंध का संपादन किया जाता है। कार्य का संपादन दोनों संभागों द्वारा किया जाता है, तथा एक संभाग द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्य के हिस्से का देयक तैयार कर दूसरे संभाग को सत्यापित कर भुगतान हेतु प्रेषित किया जाता है।

अधोहस्ताक्षर कर्ता के संज्ञान में हरदा संभाग एवं खण्डवा संभाग का एक प्रकरण आया हैं जिसमें सामंजस्य के अभाव में उपरोक्त व्यवस्था का पालन न करने के कारण कार्य की प्रगति में बाधा आ रही है। अतः यह निर्देशित किया जाता है कि ऐसे प्रकरणों में जिनमें एकजाई स्वीकृति प्राप्त कर एक संभाग द्वारा कार्य के अनुबंध का निष्पादन किया गया है, तथा कार्य दो संभागों के अंतर्गत आता है, प्रत्येक संभाग द्वारा उनके कार्यक्षेत्र में आने वाले हिस्से का ही कार्य संपादित किया जायेगा। किसी भी स्थिति में कार्यपालन यंत्री द्वारा दूसरे संभाग के कार्यक्षेत्र में आने वाले कार्य का संपादन नही कराया जायेगा। कार्यपालन यंत्री उनके द्वारा उनके संभाग में आने वाले कार्य के हिस्से की गुणवत्ता के लिये जिम्मेदार होगें।

उपरोक्त निर्देशों का कडाई से पालन किया जाना सुनिश्चित किया जाये।

प्रमुख अभियंता 21.10.10
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रेश भोपाल

पृ.कं. /स/10 3402 भोपाल दिनांक 21/10/10

प्रतिलिपि :—

1. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, म.प्र. शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग भोपाल।
3. समस्त अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश। को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ।
4. समस्त कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग मध्यप्रदेश। को आवश्यक कार्यवाही एवं पालनार्थ।

5416
23-11-10

प्रमुख अभियंता 21.10.10
लोक निर्माण विभाग, मध्यप्रेश भोपाल

Q:\SANJAY\Letter.doc